साप्ताहिक
बुलंद गोंदिया
खबरों का आईना

प्रधान संपादक : **अभिषेक चौहान** । संपादक : **नवीन अग्रवाल**

E-mail : **bulandgondia@gmail.com** | E-paper : **bulandgondia.net** | Office Contact No.: **7670079009** | **RNI NO. MAH-HIN-2020/84319**

वर्ष : 4 । अंक : 32 | गोंदिया : गुरुवार, दि. 21 मार्च से 27 मार्च 2024 | पृष्ठ : 4 | मूल्य : रु. 5

लोकसभा चुनाव-6 हजार 700 अधिकारी-कर्मचारी चुनावी ड्यूटी में तैनात रहेंगे

जिला प्रशासन कर रहा तैयारियां शासकीय एवं अर्धशासकीय विभागों से अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी मंगाई

बुलंद गोंदिया–लोकसभा के आम चुनाव के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां तेजी से चल रही है। इसके लिए गोंदिया जिले में आने वाले 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए लगभग 6 हजार 700 अधिकारी–कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा। यह भी पढ़े –वीरुगिरी करने वालों की मांग मंजूर, ग्राम सचिव का किया गया तत्काल तबादला चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन चुनाव तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है एवं इसके लिए प्रशासन अभी से अलर्ट मोड पर रहकर काम कर रहा है। जिला प्रशासन को चुनाव प्रक्रिया के लिए सर्वाधिक अधिकारी–कर्मचारियों की आवश्यकता मतदान केंद्रों के लिए होती है।

कुल 1284 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे–जिले में कुल 1284 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। एक मतदान

केंद्र पर केंद्र अधिकारी के साथ ही 3 अन्य कर्मचारी तैनात किए जाते है। इसके अलावा 10 प्रतिशत कर्मचारियों को आरक्षित कर रखा जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है। जिले में 5676 कर्मचारी मतदान केंद्रों के लिए ही नियुक्त किए जाएंगे।

शासकीय एवं अर्धशासकीय विभागों से अधिकारी–कर्मचारियों की जानकारी मंगाई

लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय विभागों से अधिकारी–कर्मचारियों की जानकारी मंगाई थी जिसके अनुसार 8800 अधिकारी–कर्मचारियों की जानकारी जिला प्रशासन को प्राप्त हो चुकी है। अर्थात इतना मनुष्यबल प्रशासन के पास चुनाव कार्य के लिए उपलब्ध है। यह भी पढ़े – ग्राहकों के हितों की रक्षा करने शुरू किया बेमियादी अनशन पर सामाजिक कार्यकर्ता भले ही सभी कर्मचारियों को ड्युटी पर न लगाया जाए। जिले में कुल 4 विधानसभा क्षेत्रों का समावेश है। जिनमें से अर्जुनी मोरगांव, तिरोड़ा एवं गोंदिया विधानसभा क्षेत्र भंडारा–गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबकि आमगांव विधानसभा क्षेत्र का समावेश गडचिरोली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत होता है। अर्थात जिले का केंद्र में दो सांसद प्रतिनिधित्व करते है।

चुनाव अवधि के दौरान हथियार पुलिस विभाग में जमा करें

बुलंद गोंदिया–भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ने 11 भंडारा–गोंदिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आम चुनाव कराने का निर्णय लिया है. साथ ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और मतदान 19 अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती 4 जून को निर्धारित की गई है. लोकसभा आम चुनाव को भयमुक्त व निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के लिए कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत हथियार लाइसेंस धारकों को सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने पर रोक लगाना आवश्यक है. इसी प्रकार न्यायालय की रिट याचिका क्र. 835/2009 में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार चुनाव को भयमुक्त व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए उपरोक्त अवधि में हथियार रखने के लाइसेंस धारक से हथियार जमा करना आवश्यक है. पर्यावरण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी प्रजीत नायर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश दिया है. भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुसार गोंदिया जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है. अतः जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सभी हथियार लाइसेंस धारकों को उपरोक्त आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है. उपरोक्त क्षेत्रों के सभी शस्त्र लाइसेंस धारक अपने शस्त्र चुनाव अवधि के लिए पुलिस विभाग में जमा करा दें. बैंकों को हथियार जमा

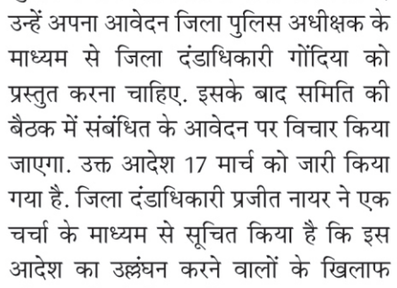

करने से छूट दी जा रही है. जिन व्यक्तियों को चुनाव के दौरान हथियार ले जाना आवश्यक है, उन्हें अपना आवेदन जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला दंडाधिकारी गोंदिया को प्रस्तुत करना चाहिए. इसके बाद समिति की बैठक में संबंधित के आवेदन पर विचार किया जाएगा. उक्त आदेश 17 मार्च को जारी किया गया है. जिला दंडाधिकारी प्रजीत नायर ने एक चर्चा के माध्यम से सूचित किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

सिर पर लगने से युवक घायल

गोंदिया–केशोरी थाने के तहत वडेगांव/बंध्या निवासी फिर्यादी राजेश हरिदास रहाटे (35) अपने घर के आगे खड़ा था. इसी बीच आरोपी पंकज चंद्रभान शेंडे (23) वहां आया और रोजगार हमी के काम को लेकर विवाद कर फिर्यादी को धक्का दिया. जिसमें फिर्यादी के सिर पर लगने से वह घायल हो गया. फिर्यादी की शिकायत पर केशोरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच पुलिस निरीक्षक भोसले कर रहे हैं.

बैंक खाते से 4.80 लाख रु. का गबन

बुलंद गोंदिया– तिरोड़ा नगर परिषद परिसर के लोधीटोला राणी अवंतीबाई वार्ड निवासी नटवरलाल नागपुरे का बैंक खाता कैनरा बैंक में है. इन्होंने अपने मोबाइल से अमेझोन मोबाइल एप से मोबाइल रिचार्ज का 719 रु. डाला. यह घटना 20 मार्च की सुबह 11 बजे की है. इसके तुरंत 5 मिनट में ही बैंक से मेसेज आया कि पैसे बैंक खाते से कटे, तब इन्होंने तुरंत समय न गवाते बैंक का रुख किया व मैनेजर से संपर्क किया. इस वक्त 49 हजार रु. पुन्ह: निकालने वाले थे, तब तुरंत वह रु. विड्राल नहीं किया. यह गबन का खेल मात्र 5 मिनट में टोटल 4 लाख 80 हजार रु. का हो गया. पता लगने पर मलिक कलकत्ता का नाम विड्राल में सामने आया है. भुक्तभोगी ने तुरंत पुलिस थाने में आकर अपनी शिकायत दर्ज की. जिसकी जांच पुलिस निरीक्षक देवीदास कठाले के नेतृत्व में सायबर क्राईम ब्रांच विभाग द्वारा की जा रही है. उसी प्रकार कैनरा बैंक व्यवस्थापक को शिकायत करने पर उन्होंने भी इस खाते को ब्लॉक कर दिया है.

सिंधी समाज का सामूहिक होली–श्रद्धांजलि कार्यक्रम

गोंदिया–हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समाज की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सामूहिक होली–श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन 25 मार्च को सिंधी स्कूल में सुबह 9.15 से 10 बजे तक किया गया है. कार्यक्रम में सिंधी समाज के जीन परिवारों में विगत वर्ष में किसी का निधन हो गया है, उन सभी परिवारों को एक साथ संपूर्ण सिंधी समाज द्वारा गुलाल का टिका लगाकर उनके दु:ख में समाज की सहभागिता दिखाई जाती है. कार्यक्रम के बाद पूज्य सिंधी मनिहारी पंचायत की ओर से परिवारवालों व उनके रिश्तेदारों के लिए नाश्ते की व्यवस्था रखी जाती है. सफलतार्थ सिंधी समाज की सभी सामाजिक संस्थाओं का भरपूर सहयोग मिलता रहा है. अधिक जानकारी के लिए क सोनू नागदेव, आशीष कुंदनानी से संपर्क किया जा सकता है.

वृद्धा के साथ दुष्कर्म-आरोपी राहुल ठाकरे को मृत्यु पर्यंत सश्रम आजीवन कारावास

बुलंद गोंदिया। गोंदिया तहसील के दवणीवाड़ा निवासी आरोपी राहुल ठाकरे उम्र 24 वर्ष को 65 वर्षीय विधवा वृद्धा के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए तदार्थ वह अपर जिला सत्र न्यायाधीश एन. बी. लवटे द्वारा मृत्यु पर्यंत सश्रम आजीवन कारावास की सजा हुआ वह 52500 रु का जुर्माना सुनाया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण इस प्रकार है कि गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम दवनीवाड़ा निवासी 65 वर्षीय विधवा वृद्धा 5 दिसंबर 2022 की दोपहर को हमेशा की तरह बकरियों को चराने के लिए खेत परिसर में गई हुई थी। इसी दौरान आरोपी द्वारा दोहपर12 बजे के दौरान पीछे से आकर उसका मुंह दबाकर पास के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के आधे घंटे पश्चात आरोपी द्वारा फिर से पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती अनैसर्गिक कृत्य करने के साथ ही छाती वह शरीर पर चाबा तथा फिर से दोबारा दुष्कर्म किया। तथा इस घटना की जानकारी किसी और को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।इस मामले में पीड़ित वृद्ध द्वारा दवणीवाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अपराध

क्रमांक 298झ 2022 भा.द वी की धारा 376 (2),(रू),(ह),341,324,506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उपरोक्त प्रकरण में एक विधवा वृद्धा पर एक युवक द्वारा पासविक तरीके से दुष्कर्म किए जाने के मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उपरोक्त मामले में तत्काल निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिया। वरिष्ठों के आदेश प्राप्त होने के पश्चात आरोपी राहुल ठाकरे को तत्काल हिरासत में लेकर नियमानुसार जांच की गई वह सबूत को जमा कर न्यायालय में आरोप पत्र तैयार कर पेश किया। न्यायालय में प्रकरण के दौरान सबूतो व गवाह के आधार पर 14 मार्च 2024 को तदर्थ व अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एन बी लवटे द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 376 (2) के तहत मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास वह 50हजार का जुर्माना न भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास। धारा 324 के तहत 1 वर्ष का कारावास1000 का जुर्माना जुर्माना न भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा धारा 341 के तहत एक महीने का कारावास 500 का जुर्माना जुर्माना न भरने पर 7 दिन का अतिरिक्त कारावास धारा 506 के तहत 2 वर्ष का कारावास 1000 का जुर्माना जुर्माना न भरने पर 15 दिनों की अतिरिक्त सजा आरोपी को सुनाई। उपरोक्त मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल पाटिल पो.हवा. धनेश्वर पिपरेवार, पो.ना. टेंभेकर, मपोशि. मस्करे, ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। विशेष – उपरोक्त मामले में न्यायालय में गवाही शुरू होने के तीन माह के अंदर ही फैसला सुनाया गया। उपरोक्त मामले में पीड़िता की ओर से सहायक संचालक व सरकारी वकील सतीश यू. घोडे द्वारा पैरवी की। पुलिस विभाग की ओर से पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले , अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा, उप विभागीय पुलिस अधिकारी तिरोडा प्रमोद मडामे, दवनीवाड़ा पुलिस निरीक्षक सतीश जाधव द्वारा पीड़ित महिला को न्याय दिलवाने हेतु उत्कृष्ट जांच का कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का अभिनंदन कर बधाई दी।

तेंदूए ने मवेशियों के गोठे में घुसकर बछड़े का किया शिकार

» ग्राम मुरदोली की घटना

बुलंद गोंदिया। (संवाददाता देवरी)– गोंदिया जिले के देवरी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुरदोली निवासी किसान जीवनलाल शिवनकर के मवेशियों के गोटे में घुसकर शुक्रवार 15 मार्च की सुबह ने भैंस के बछड़े का शिकार किया जिससे ग्राम और परिसर में दहशत का वातावरण निर्माण हो गया।

गौरतलब है की गोंदिया जिले के संरक्षित वन क्षेत्र से लगे ग्रामों में अब वन्य जीवों द्वारा घुसकर मवेशियों वह मनुष्य पर हमले किए जाने की घटना में इजाफा देखा जा रहा है। इसी के अंतर्गत शुक्रवार 15 मार्च की सुबह ग्राम मुरदोली निवासी किसान जीवनलाल शिवनकर उम्र 45 वर्ष के मवेशियों के गोटे में बांधे हुए बछड़े का शिकार द्वारा किया। इस घटना की जानकारी प्राप्त होती ही ग्राम व परिसर में दहशत का वातावरण निर्माण हो गया तथा ग्राम वासियों द्वारा इस हमलावर तेंदुए को वन विभाग द्वारा जल्द से जल्द कैद करने की मांग की है।

उल्लेखनीय की मुरदोली ग्राम यह रायपुर–नागपुर महामार्ग क्रमांक 6 पर स्थित है तथा ग्राम वासियो द्वारा खेती के साथ–साथ पशुपालन भी किया जाता है। जिससे आए दिन उपरोक्त किसानों के पालतू मवेशियों का शिकार वन्य जीवों द्वारा किया जाता है। इस

प्रकार की एक घटना में सुबह 4:00 बजे के दौरान तेंदुए द्वारा जीवनलाल शिवनकर के मवेशियों के गोटे में घुसकर बछड़े का शिकार किया। उल्लेखनीय कि उपरोक्त ग्राम वन क्षेत्र से क्षेत्र से लगा होने के कारण आए दिन वन्य जीव ग्राम में प्रवेश करते हैं तथा गांव में बड़े नागरिकों के साथ–साथ छोटे बच्चों की संख्या भी अधिक है यदि इस प्रकार की घटना में किसी बच्चे पर तेंदुए का हमला हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन ऐसा प्रश्न भी ग्राम वासियों द्वारा निर्माण किया जा रहा है तथा वन विभाग द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र से लगे ग्रामों में सुरक्षा प्रबंध करने के साथ–साथ ही के साथ ही इस हमलावर तेंदुओं को पिंजरे में पकड़ने की मांग ग्रामीणों द्वारा जोर–जोर से की जा रही है तथा नुकसान ग्रस्त किसान को मुआवजा देने की मांग भी ग्रामीणों द्वारा की गई है तथा इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई।

जुआ खेलते हुए 7 लोगों को पकड़ा

गोंदिया–गंगाझरी पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने के आरोप में एकोड़ो से 7 लोगों को गिरफ्तार किया. जुआरियों के पास से नकदी व अन्य सामने

जब्त की गई. गंगाझरी थाने के सिपाही प्रशशात पौतमलाल गौतम गश्त पर थे. उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एकोड़ी में सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेल रहे हैं. सूचना के आधार पर उन्होंने छापेमारी की और सात लोगों को रंगेहाथ पकड़ लिया. मौके से उनके पास से 2500 रुपये नकद, तास पत्ती जब्त की. आरोपियों में एकोड़ी निवासी नौशाद अकबर शेख (31), प्रितचंद कनोजे (65), गणेश चंदू (53), भरतलाल परिहार (40), देवेंद्र वडीचार (64), सुरेश वडते (57) व हीरालाल रिनाइत (55) का समावेश है. गंगाझरी थाने में मामला दर्ज किया गया है. जांच हवलदार हिवरे कर रहे हैं.

नप मुख्याधिकारी बल्लाल का सत्कार

जिला व्यापारी चेरिटेबल एसो. ने की समस्याओं लेकर चर्चा

गोंदिया–जिला व्यापारी चेरिटेबल एसोसियशन ने नगर परिषद के नवनियुक्त मुख्याधिकारी सुनील बल्लाल का सत्कार करते हुए गोंदिया शहर में व्याप्त विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की. बल्लाल ने बताया कि पूरे शहर में मच्छरों की भीषण समस्याओं के लिए 10 फॉगिंग मशीनों द्वारा मच्छरनाशक दवाओं का छिडकाव शुरू किया जा रहा है. लावारिस घूमते पशुओं के लिए शीघ्र व्यवस्था की जाएगी.

3 सार्वजनिक शौचालयों का होगा निर्माण

मुख्यमार्ग व अन्य नालियों की नियमित तथा रविवार को पूर्ण सफाई की जाएगी. शहर में शौचालय की विभिन्न समस्याओं के लिए 3 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा तथा स्टेडियम में पुराने शौचालय को –

सुव्यवस्थित कर प्रारंभ किया जाएगा चर्चा के दौरान एसो. के अध्यक्ष संजय जैन, सचिव लक्ष्मण लधानी, कोषाध्यक्ष महेंद्र खंडेलवाल, सहसचिव, राजेश्वर कनोजिया, नितिन जिंदल, जय चौरसिया, सुसेनजीत नंटू सहा, सचिन चौरसिया, अंकित कुलकर्णी, हरीश अग्रवाल, रवि लधानी, कानू सोनी, आयुष जैन आदि उपस्थित थे।

वंचित बहुजन आघाड़ी ने क्रांति दिवस मनाया

गोंदिया– वंचित बहुजन आघाड़ी जिला गोंदिया की ओर से महाल चवदार तले क्रांति दिवस डा. बाबासाहब आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया गया. वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष प्रा. सतीश बंसोड की प्रमुख उपस्थिति में तहसील के ललितकुमार भैसारे के हस्ते माल्यार्पण किया गया. इस अवसर पर राजू राहुलकर, किरण फुले, सुरेखा मेश्राम, तुलाराम वैद्य, प्रफुल लांजेवार, प्रमोद गजभिए यशोधरा गजभिए सिद्धार्थ हमने माधोराय बंसोड चिकू राहलकर

उपस्थित थे।

संपादकिय...

चुनावी बॉन्ड 'काला धन' कैसे?

चुनावी बॉन्ड को सर्वोच्च अदालत 'असंवैधानिक' करार दे चुकी है और उन पर रोक भी लगा दी गई है, लिहाजा यह अध्याय यहीं समाप्त हो जाना चाहिए था। अब चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर वे ब्योरे जारी कर रहा है, जो भारतीय स्टेट बैंक ने भेजे हैं और जारी करने का आदेश सर्वोच्च अदालत का है। कांग्रेस समेत विपक्ष के दल इस चुनावी चंदे को 'बहुत बड़ा घोटाला' चित्रित कर रहे हैं, जो हास्यास्पद राजनीति है। यदि बॉन्ड के जरिए फरवरी, 2024 तक करीब 7700 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को मिला है, तो नवम्बर, 2023 तक 1334.35 करोड़ रुपए का चंदा कांग्रेस के हिस्से भी आया है। गणना कर लें कि फरवरी, 2024 तक कितना पैसा कांग्रेस के खजाने तक पहुंचा होगा! सूची में दूसरा स्थान तृणमूल कांग्रेस का है, जिसे 1397 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। एक क्षेत्रीय दल को इतना चंदा? सूची में बीआरएस, बीजद, द्रमुक, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, राजद, एनसीपी, सपा, अकाली दल, अन्नाद्रमुक आदि क्षेत्रीय दल भी हैं, जिन्हें उनकी हैसियत के मुताबिक करोड़ों में चंदा दिया गया है। क्या कांग्रेस समेत वे सभी दल 'घोटालेबाज' हैं? चुनावी बॉन्ड पर शीर्ष अदालत के फैसले पर कोई सवाल नहीं, अलबत्ता देश का बौद्धिक और जागरूक वर्ग कमोबेश चिंतन कर सकता है कि ऐसा चुनावी चंदा 'घोटाला' कैसे माना जा सकता है? विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है, जहां राजनीतिक दलों को चंदा न दिया जाता हो। जहां आम चुनाव के लिए सरकारें आर्थिक संसाधन मुहैया कराती हैं, वहां भी औद्योगिक घराने और वैचारिक तौर पर जुड़ी आम जनता चुनावी चंदे देती रही है। यह एक सार्वजनिक परंपरा और प्रक्रिया है। औसत करदाता को आयकर या अन्य कर-योग्य संपदा में छूट भी मिलती है, लिहाजा देश की आजादी और संविधान को ग्रहण करने के बाद चंदा देने की परंपरा रही है। इस चंदे के संदर्भ में 'काला धन' का खूब शोर मचाया जा रहा है, लेकिन जो पैसा देश के बुनियादी ढांचे के विकास और जन-कल्याण की परियोजनाओं में निवेश किया जाता रहा है, उस आर्थिक स्रोत को 'काला धन' करार कैसे दिया जा सकता है? दरअसल चुनावी बॉन्ड के तौर पर व्यक्ति, संस्थान, औद्योगिक ईकाई और समूह जितना पैसा निवेश करते हैं, वह अनिवार्य रूप से उनके खातों में दिखाया जाता है। जिन राजनीतिक दलों को बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है, उसे दलों ने भी अपने अधिकृत खातों में दिखाया होगा। चुनाव आयोग एक निश्चित अंतराल पर इन खातों की जांच करता रहा है। तो फिर बॉन्ड में खर्च किया गया धन 'काला धन' कैसे कहा जा सकता है? दरअसल 'काला धन' वह है, जिसे आरोपित व्यक्ति या कॉरपोरेट घराने अथवा राजनेता विदेशी बैंकों में खाते खुलवा कर जमा कर देते हैं और कर-जांच एजेंसियों को उनके खुलासे भी नहीं किए जाते। ऐसे कई 'काले रहस्योद्घाटन' हो चुके हैं। अभी तक चुनाव आयोग के जरिए जितने चुनावी बॉन्ड सार्वजनिक किए गए हैं, उनमें रिलायंस, अंबानी, टाटा, बिरला सरीखे बड़े औद्योगिक समूहों के नाम नहीं हैं। क्या वे राजनीतिक दलों को चंदा नहीं देते?

वर्ल्ड फॉरेस्ट डे : अतिक्रमण के चलते कम हो रहा जंगल, बढ़ रहे बाघ, तेंदुए

राज्य सरकार की ओर से वन्यजीवों की जतन के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं के बदौलत वन्यजीवों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जंगलों के जतन के लिए कोई खास उपाय योजना नहीं है। इस कारण आए दिन जंगलों में अतिक्रमण हो रहे हैं। वही ग्रीष्म में आग से जंगल खाक भी होते जा रहे हैं। ऐसे में वन्यजीव ज्यादा और जंगल कम की स्थिति बन रही है। खासकर बाघ व तेंदुओं की संख्या में गत पांच साल में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में हालत यह हो रहे हैं कि बाघों को जंगल के बाहर निकलना पड़ रहा है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामले सामने आ रहे हैं। यही नहीं बाघों में क्षेत्र के लिए होने वाली लड़ाई में बाघों की मौत भी हो रही है।

एक बाघ के लिए बस 9.5 किमी - नागपुर से जुड़ा बोर व्याघ्र प्रकल्प एक छोटा क्षेत्र है, जिसमें बोरधरण, न्यू बोर, कवडस, बांगडापुर, हिंगणी वाइल्ड लाइफ व नागपुर का कुछ क्षेत्र आता है। यहां पूरे जंगल का दायरा 138 किमी तक है। जानकारों की मानें तो एक बाघ को अपने क्षेत्र के लिए 25 किमी का दायरा जरूरी होता है। लेकिन यहां कुल 14 बाघ हैं और 15वां नया बाघ आने की तैयारी में है। ऐसे में एक बाघ को 9.5 किमी के दायरे में रहना पड़ रहा है। नतीजा आये दिन बाघों की आपस में क्षेत्र के लिए लड़ाई होती रहती है, जिसमें बाघ घायल हो जाते हैं। कई बार तो चोट गंभीर रहने पर कमजोर बाघ की मौत भी हो जाती है। यही नहीं कई बार हारने वाला बाघ क्षेत्र की तलाश जंगल के बाहर निकल जाता है।

उमरेड करांडला के हाल -नागपुर जिले के उमरेड़ करांडला की बात करें तो यहां 189 वर्ग किमी का जंगल फैला है, जहां 5 से 7 बाघ रह सकते हैं। लेकिन ताडोबा, ब्रम्हपुर आदि जगहों से लगातार बाघों के आने से यहां गत वर्ष 13 बाघों की मौजूदगी दर्ज की गई थी। ऐसे में जगह कम व बाघ ज्यादा की स्थिति से बाघों की क्षेत्र के लिए संघर्ष होना शुरू हुआ है। पेंच में 50 से ज्यादा बाघ = पेंच का जंगल कभी 789 वर्ग किमी में फैला था। अभी यह 749 वर्ग किमी दायरा है। ऐसे में यहां बाघों को जगह कम पड़ रही है। वर्तमान स्थिति में यहां 43 बाघ हैं, जबकि कुछ साल पहले इनकी संख्या 50 को पार कर गई थी। क्षेत्र छोटा होने के कारण बाघों की लड़ाई के बाद बाघ परिसर को छोड़ बाहर क्षेत्र की तलाश में जा रहे हैं। प्रादेशिक में 13 बाघ = वन विभाग के प्रादेशिक में आमतौर पर बहुंत कम बाघ रहते हैं, लेकिन नागपुर के प्रादेशिक में वर्तमान स्थिति में 13 बाघों की मौजूदगी है। गत 3 साल पहले यहां 5 से 8 बाघों को गिना जाता था। उमरेड करांडला के कई बाघों के शावक बढ़े होने के बाद क्षेत्र की तलाश में प्रादेशिक में घुस गये हैं। वहीं, अतिक्रमण के कारण हर साल प्रादेशिक जंगल का दायरा कम होते जा रहा है। ऐसे में बाघ इंसानी इलाके तक पहुंच रहे हैं। हाल ही में रामटेक परिसर में मानव-वन्यजीव के बीच कई हिंसक घटनाएं हुई हैं।

महाराष्ट्र में बढ़ी तेंदुओं की संख्या -महाराष्ट्र में 5 साल में 3 सौ से ज्यादा तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। वर्तमान स्थिति में वाइल्ड लाइफ इंन्स्टीट्युट ऑफ इंडिया के अनुसार 1 हजार 9 सौ 85 तेंदुए मौजूद हैं, जबकी इनकी संख्या वर्ष 2028 में 17 सौ के करीब थी। ऐसे में 3 सौ से ज्यादा तेंदुओं की संख्या बढ़ने का चित्र साफ है। बाघों की तुलना यह संख्या चार गुना ज्यादा है। उक्त सभी क्षेत्र के वाइल्ड लाइफ एरिया में तेंदुओं की जो मौजूदगी है, उससे कई ज्यादा घूमते हैं। पेंच में 70 से 73 की मौजूदगी है। बोर में 37 से 39 तक मौजूदगी है, मेलघाट में 181 से 185 तक है, 233 से 243 करते हैं। ताड़ोबा में 130 तेंदुए है, लेकिन बाहर के तेंदुए आने से 148 से 155 तक इस क्षेत्र में विचरण करते हैं। पेंच में बढ़े मगरमच्छ = नागपुर जिले के पेंच व्याघ्र प्रकल्प में न केवल बाघ, बल्कि मगरमच्छों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। यह हम नहीं हाल ही में हुई गणना के आंकड़े बया कर रहे हैं। नएआंकड़ों के अनुसार दूसरी बार हुई गणना प्रक्रियां में 52 मगरमच्छों का दीदार हुआ है। पहली गणना में 30 मगरमच्छ दिखे थे। इसमें 22 मगरमच्छ की संख्या बढ़ते दिख रही है। इसके अलावा सॉफ्टशेल कछुए के अंडे भी मिले हैं।

कचारगढ़ में चलाया गया सफाई अभियान
राज्य आरक्षित पुलिस वर्षगांठ पर उठाया कदम

गोंदिया-राज्य आरक्षित पुलिस वर्षगांठ पर आयुक्त अमोल गायकवाड़ के मार्गदर्शन में पुलिस कर्मचारियों ने सालेकसा तहसील के कचारगढ़ का दौरा किया. इस बीच कचारगढ़ से पर्यावरण स्वच्छता मिशन तक सामाजिक एकता और अखंडता का संदेश दिया गया. इस बीच राष्ट्रीय ध्वज, महाराष्ट्र पुलिस ध्वज, राज्य आरक्षित पुलिस ध्वज के साथ कार्यक्रम आयोजित थे. इस दौरान जिप सदस्य गीता लिल्हारे, पंस सदस्य सुनीता राऊत, सरपंच सिंधु घरत, बारेलाल वरखडे, लखन टेकाम, प्रल्हाद मरस्कोल्हे, नवलसिंह कुंभरे, सागर गवसणे पुलिस उपनिरीक्षक मोरे, मुंढे, बीट जमादार के साथ ही पर्यटक उपस्थित थे. प्रमोद लोखंडे ने कहा कि प्राकृतिक स्थान पर स्वच्छता रखना सभी का कर्तव्य है. इस दौरान सभी ने पहाड़ पर ट्रैकिंग भी की. संपूर्ण परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया. सहायक समादेशक मंगेश शेलोटकर ने कार्यक्रम का आयोजन किया. संचालन ललित तायवाडे ने व आभार समादेशक मंगेश शेलोटकर ने माना. सफलतार्थ समन्वय अधिकारी पुलिस निरीक्षक पवन मिश्रा, पुलिस उपनिरीक्षक नरेंद्र परिहार, सचिन येडे आदि ने प्रयास किया.

अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई

गोंदिया-आगामी होली त्योहार और लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने छापेमारी कर महुआ शराब और देशी शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की. उनके पास से सामग्री जब्त कर मामला दर्ज किया गया. शहर थाने के हवलदार कवलपालसिंह भाटिया ने गौतम बुध्द वार्ड, कुंभारेनगर में एक 55 वर्षीय महिला के घर की तलाशी ली. इस दौरान उसके घर से 640 रुपए कीमत की 16 बोतल देशी शराब और 2500 रुपए कीमत की महुआ शराब और 1300 रुपए नकद जब्त कर मामला दर्ज किया गया. जांच महिला हवलदार रीना चव्हाण कर रही हैं. तिरोड़ा थाने के हवलदार श्रीराम टेंभरे ने संत रविदास वार्ड के शांताबाई बरियेकर (59) के घर से 3 हजार रुपए कीमत की महुआ शराब जब्त की है. जांच पुलिस नायक श्रीरामे कर रहे हैं. इसी तरह पुलिस नायक श्रीरामे ने जाकिर हुसैन वार्ड के श्रीकृष्ण चौधरी (42) के घर से एक प्लास्टिक केन में 2,000 रुपए कीमत की 10 लीटर महुआ शराब जब्त की. अमितकुमार माहुले ने तिरोड़ा तहसील के चिखली के सुखदेव सीताराम बावने (47) के घर से 800 रुपए कीमत की 8 लीटर महुआ शराब जब्त कर मामला दर्ज किया है.

होली से जुड़ी राक्षसी धुंधी की रोचक कहानी

रंगों के त्यौहार होली के एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में इसका गहरा अर्थ है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वैसे तो इससे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, जिसमें भक्त प्रह्लाद की कथा काफ़ी प्रचलित है। देश के हर एक कोने में होलिका दहन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसकी कई प्राचीन मान्यताएं और विशेषताएं हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार, हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा, कई असुरों की तरह, अमर होने की कामना करता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए, उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान स्वरूप उसकी पाँच इच्छाओं को पूरा किया= कि वह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा, कि वह दिन या रात, किसी भी हथियार से, पृथ्वी पर या आकाश में, अंदर या बाहर नष्ट नहीं होगा, पुरुषों या जानवरों, देवों या असुरों द्वारा नहीं मरेगा, वह अप्रतिम हो, कि उसके पास कभी न खत्म होने वाली शक्ति हो, और वह सारी सृष्टि का एकमात्र शासक हो। वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकशिपु ने अजेय महसूस किया। जिस किसी ने भी उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताई, उसने उन सभी को दंडित किया और मार डाला। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था प्रह्लाद। प्रह्लाद ने अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसने विष्णु में विश्वास करना और उनकी पूजा करना जारी रखा। प्रह्लाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था ने हिरण्यकशिपु को क्रोधित कर दिया, और उसने प्रह्लाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें से सभी असफल रहे। इन्हीं प्रयासों में, एक बार, राजा हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने प्रह्लाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। विष्णु पुराण के अनुसार, होलिका को ब्रह्माजी से वरदान में ऐसा वस्?त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्?त्र को ओढ़कर प्रह्लाद को जलाने के लिए आग में आकर बैठ गई। जैसे ही प्रह्लाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रह्लाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई थी।मान्यता है, कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है।

भगवान शिव और कामदेव की कथा

जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अग्नि में प्रवेश किया और अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव को दिखाए गए अपमान के कारण मृत्यु को गले लगा लिया, तो वह पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों को त्याग दिया और गंभीर ध्यान में चले गए। इससे दुनिया में विनाशकारी असंतुलन पैदा हो गया, जिससे सभी देवता चिंतित हो गए। इस बीच, सती का देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ। वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी लेकिन भगवान शिव को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना चुना। तब देवताओं ने भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए कामदेव को भेजने का फैसला किया ताकि उनके और पार्वती के बीच विवाह संपन्न हो। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उन्हें बताया कि राक्षस राजा तारकासुर को ऐसे व्यक्ति द्वारा ही मारा जा सकता है जो शिव और पार्वती का पुत्र हो। इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव में प्रेम जगाने का निर्देश दिया, ताकि वह पार्वती से शादी करने के लिए राजी हो जाएं।

कामदेव, अपनी पत्नी रति के साथ अपने कार्य को पूरा करने के लिए भगवान शिव के पास गए। उस स्थान पर पहुँचने के बाद जहाँ भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। तभी कामदेव ने पार्वती को अपनी सखियों के साथ आते देखा। ठीक उसी क्षण भगवान शिव भी अपनी ध्यान समाधि से बाहर आ गए थे। कामदेव ने भगवान शिव पर अपने 'कामबाण' से प्रहार किया, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान शिव पार्वती के अद्भुत सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनका हृदय उनके लिए प्रेम से भर गया। लेकिन साथ ही वह अपने व्यवहार में अचानक आए बदलाव से हैरान थे। भगवान शिव ने अपने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि कामदेव हाथ में धनुष-बाण लिए बायीं ओर खड़े हैं। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि यह वास्तव में यह कामदेव ने ही किया है। अत्यंत क्रोध के परिणाम स्वरूप भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने शिव से अपने पति को जीवित करने की गुहार लगाई। उसके बाद देवताओं ने भी भगवान शिव के पास जाकर उनकी पूजा की। उन्होंने उन्हें बताया कि यह कामदेव की गलती नहीं थी, उन्होंने उन्हें तारकासुर की मृत्यु का रहस्य भी बताया। तब देवताओं ने उनसे कामदेव को एक बार फिर से जीवित करने का अनुरोध किया।

तब तक भगवान शिव का क्रोध शांत हो चुका था और उन्होंने देवताओं से कहा कि कामदेव द्वापर युग में कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। शंबर नाम का एक राक्षस उसे समुद्र में फेंक देगा। वह उस राक्षस को मार डालेगा और रति से शादी करेगा, जो समुद्र के पास एक शहर में रह रही होगी। तब से कामदेव को भगवान शिव द्वारा भस्म होने को होलिका दहन और उनके पुनर्जन्म की खुशी को होली के रूप में मनाया जाता है।

भगवान श्री कृष्ण और पूतना की कथा एक प्रचलित कथा श्री कृष्ण और पूतना नामक राक्षसी की भी है। जब भगवान कृष्ण गोकुल में बड़े हो रहे थे, मथुरा के राजा कंस ने उन्हें खोजने और मारने की कोशिश की। कंस ने कृष्ण के मिलने तक सभी बच्चों को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजने का फैसला किया। उसने कंस के राज्य में सभी शिशुओं को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उसने पड़ोसी राज्यों में भी शिशुओं को मारना शुरू कर दिया। चुपचाप घरों में घुसकर, वह बच्चों को तब उठा लेती थी जब उनकी माताएँ या तो सो रही होती थीं या घर के कामों में व्यस्त होती थीं। वह खेतों में काम करने वाले माता-पिता के बच्चों का अपहरण भी कर लेती थी। राज्य के सभी बच्चों को खत्म करने की अपनी खोज में, पूतना कृष्ण के गाँव पहुँची। वह सूर्यास्त के बाद गाँव में दाखिल हुई ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह जहां भी जाती, लोगों को यशोदा और नंदराज के नवजात शिशु के बारे में बात करते सुनती थी। नन्हे बालक के दिव्य रूप को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध नजर आ रहा था। पूतना ने तुरन्त जान लिया कि यही वह बालक है जिसकी उसे तलाश थी। उसने रात गाँव के बाहर बिताने और सुबह कृष्णा के घर जाने का फैसला किया। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और के यशोदा और नंद के घर पहुंचीं, जहां यशोदा ने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया। उसने अपना परिचय दिया और यशोदा से अनुरोध किया कि वह उसे कृष्ण को खिलाने की अनुमति दे। यशोदा ने भी सोचा कि सुंदर युवती कोई देवी थी और पूतना के अनुरोध पर सहमत हो गई।

पूतना ने नन्हे कृष्ण को गोद में उठा लिया और उसे खिलाने लगी और अपने जहरीले दूध का स्तनपान उसे कराने लगी। उसने सोचा कि कुछ ही मिनटों में कृष्ण निर्जीव हो जाएंगे। इसके बजाय, पूतना को अचानक ऐसा लगने लगा जैसे वह छोटा लड़का उसके जीवन को चूस रहा हो। उसने कृष्ण को अपने से दूर करने की कोशिश की लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रही। बच्चे को डराने के लिए वह अपने मूल रूप में वापस आ गई। वह हवा में उड़ने लगी ताकि बच्चा डर कर उसे छोड़ दे। लेकिन सब व्यर्थ था। कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया और अंततः पूतना के पूरे जीवन को चूस लिया। पूतना का निर्जीव शरीर भूमि पर गिर पड़ा और तब से ही पूतना जैसी बुराई के अंत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन करने की मान्यता है।

राक्षसी धुंधी की कथा

एक और कथा राक्षसी धुंधी की है। रघु राज्य की राक्षसी धुंधी भोले-भाले लोगों और विशेष रूप से छोटे बच्चों को परेशान करती थी। ढुंढी को भगवान शिव का वरदान था कि वह देवताओं, पुरुषों द्वारा नहीं मारी जाएगी और न ही गर्मी, सर्दी या बारिश से या किसी भी शस्त्र से पीड़ित होगी। इन आशीर्वादों ने उसे लगभग अजेय बना दिया लेकिन उसमें एक कमजोर बिंदु भी था। उसे भगवान शिव ने भी श्राप दिया था कि वह चंचल लड़कों से खतरे में होगी जो उसे परेशान करेंगे।

राजा ने पुजारी से परामर्श किया, उन्होंने बताया कि फाल्गुन को शीत ऋतु समाप्त हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। धुंधी को दूर भगाने के लिए यह उपयुक्त समय होगा। समय आने पर गाँव के साहसी लड़कों ने उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने और उसे गाँव से भगाने का फैसला किया। लड़कों ने लकड़ी और घास का ढेर इकट्ठा किया, उसमें मंत्रों से आग लगा दी, ताली बजाई, आग के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वे भांग के नशे में चूर हो गए और फिर धुंधी के पीछे- पीछे गाँव की सीमा तक, नगाड़े बजाते, शोरगुल करते, गाली-गलौज करते रहे और ऐसा तब तक करते रहे जब तक कि धुंधी हमेशा के लिए गाँव से बाहर नहीं निकल गई। गालियों की मार ने उसके मन की स्थिति को बर्बाद कर दिया, वह भीतर से कमजोर और असहाय महसूस कर रही थी। यहां पर भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन की प्रथा प्रचलित हुई। आज भी इस मान्यता के सम्मान में लड़के होलिका दहन की रात ढोल नगाड़े बजाते हुए, शोर करते हुए होलिका दहन का पर्व मनाते है।

पारदर्शी व खुले वातावरण में चुनाव संपन्न कराने जिला प्रशासन सजग रुप से तैयार -जिलाधिकारी प्रजित नायर

आचार संहिता का सख्ती से पालन करने दिये निर्देश-सोशल मिडिया व फेक न्यूज पर रहेगी पैनी नजर

गोंदिया- चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही गोंदिया जिले में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। भंडारा-गोंदिया लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। देशभर में वोटों की गिनती एक ही दिन 4 जून 2024 को होगी। इस संबंध में गोंदिया जिलाधिकारी कार्यालय में आज 16 मार्च को जिलाधिकारी प्रजीत नायर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, और उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व रुपी चुनाव को पारदर्शी और खुले माहौल में निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिये प्रतिबद्धता जताई, तथा कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरुप गोंदिया जिले में चुनाव संपन्न कराने जिला प्रशासन की टीम मुस्तैदी से पूरी तरह से तैयार है। श्री नायर ने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता का सती से पालन कराया जायेगा. उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि बल का प्रयोग (बाहुबल), धन का प्रयोग (धनबल), गलत सूचना (गलत सूचना) और मीडिया समन्वय समिति के नियमों का उल्लंघन चुनाव प्रणाली के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं और आयोग के निर्देशानुसार उन पर काबू पाने के लिए उपाय किए जाएंगे। भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जिलाधिकारी श्री नायर की प्रेस

कॉन्फ्रेंस में इस अवसर पर प्रमुख रुप से उप जिलाधिकारी (चुनाव) किरण अंबेकर, निवासी उप जिलाधिकारी विजया बनकर, उप जिलाधिकारी भैय्यासाहेब बेहरे प्रमुख रुप से उपस्थित रहे। जिलाधिकारी प्रजीत नायर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आयोग और जिला प्रशासन सोशल मीडिया, पेड न्यूज और फेक न्यूज पर कड़ी नजर रखेगा और जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में साइबर सेल फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सत कार्रवाई करेगा। श्री नायर ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते समय सावधानी बरतें और गलत संदेश पोस्ट या फारवर्ड न करें। जिलाधिकारी श्री नायर ने आगे बताया कि गोंदिया जिले में अर्जुनी मोरगाव, तिरोडा, गोंदिया व आमगाव 4 विधानसभा है, जिसमें आमगाव

विधानसभा गडचिरोली मतदान क्षेत्र में समाविष्ट है। आमगांव छोड़कर शेष विधानसभा में कुल 10 लाख 85 हजार 272 मतदाता पंजीकृत हैं। जिले में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 1284 है। कुल मतदाताओं में पुरुष मतदाता 5 लाख 37 हजार 969 एवं महिला स्त्री 5 लाख 47 हजार 293 है, तथा अन्य 10 अन्य हैं। श्री नायर ने आगे यह भी बताया कि गोंदिया जिले के पास कुल ईवीएम मशीनें 6791 है। जिले में अबकी बार शत प्रतिशत संख्या में मतदान कराने के लिये जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। जिलाधिकारी प्रजीत नायर ने आगे यह भी बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नागरिकों को चुनाव के संबंध में जानकारी प्राप्त करने तथा शिकायतों के लिए गोंदिया जिले में हेल्पलाइन नंबर 1950 (टोल फ्री), टेलीफोन नंबर 07182236148, मोबाइल नंबर 8080453152 लागू किया गया है। चुनाव। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता के दौरान चुनाव संबंधी विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से एवं निर्धारित समय सीमा के अंदर संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला स्तर पर 16 नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। जिलाधिकारी प्रजीत नायर ने आगे बताया कि आदर्श आचारसंहिता की अवधी में अवैध रकम, शराब, प्रतिबंधीत औषधी, नशीले पदार्थों के परिवहन पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी, तथा इसके लिये विभिन्ना चौकियों और राज्य व जिले की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही है जिलाधिकारी प्रजीत नायर चुनाव कार्यक्रम के संबंध में बताया कि चुनाव के लिये अधिसूचना 20 मार्च को लागु होगी, तथा इसी के साथ नामांकन फॉर्म लेने और भरने का क्रम शुरु होगा। 27 मार्च तक उमीदवार अपना नामांकन फॉर्म भर सकेंगे, तथा 30 मार्च नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह वितरित किया जायेगा। 19 अप्रैल को मतदान व 4 जून 2024 को मतगणना संपन्न होगी। श्री नायर ने यह भी बताया कि संपूर्ण चुनाव के दोनों ही जिले के मुख्य चुनाव निर्णय अधिकारी भंडारा जिलाधिकारी हैं, और वे जिले के सभी राजनीतिक दलों से यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि लोकसभा आम चुनाव के संचालन के लिए जिले में कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो, तथा पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएं।

महिला सरपंच पर अविश्वास प्रस्ताव पारित विरोध में 7 व सरपंच के पक्ष में 2 मिले

गोंदिया-आमगांव तहसील के महारीटोला ग्रापं में सदस्यों द्वारा सरपंच के खिलाफ अपनाए गए विरोधी रुख को आखिरकार सदस्यों की ओर प्रस्ताव को समाप्त करने में सफलता मिली और सरपंच को आखिरकार पद से हटा दिया गया. महारीटोला ग्रापं की सरपंच रीता संतोष मेंढे के खिलाफ ग्रापं सदस्यों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 2 के मुकाबले 7 वोटों से पारित हो गया. महारीटोला की सरपंच रीता मेंढे ने अपने सदस्यों पर भरोसा किए बिना अनधिकृत काम करके और अपनी अनियमित गतिविधियों से गांव में रोष पैदा किया था.सदस्यों ने मुद्दे को ग्रापं सभा में कई बार उठाया, किंतु सरपंच द्वारा संतोषजनक ढंग से काम नहीं करने के कारण आखिरकार सदस्यों ने इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया. ग्रापं कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव में सदस्यों ने भाग लिया. सरपंच के विरोध में 7 व सरपंच के पक्ष में 2 मत प्राप्त किए. इस अवसर पर प्रशासन के अधिकारी चुनाव अधिकारी व तहसीलदार डा. रवींद्र होली, नायब तहसीलदार गुणवंत भुजाड़े. विस्तार अधिकारी कुटे, पुलिस निरीक्षक युवराज हांडे उपस्थित थे. उल्लेखनीय यह है कि कुछ महिलाओं ने सरपंच रीता मेंढे के समर्थन में आंदोलन कर ग्रामीणों और ग्राम पंचायत सदस्यों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और उन्हें पद से हटा दिया गया.

आखिरकार चार साल बाद 'आमची मुलगी' वेबसाइट शुरू

गोंदिया- राज्य में भ्रूण लिंग निदान, लिंग अनुपात में वृद्धि और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए शिकायतें दर्ज करने के लिए 'आमची मुलगी' नामक एक वेबसाइट शुरू की गई है. यह वेबसाइट पिछले चार साल से बंद थी. 15 मार्च को इस वेबसाइट को दोबारा शुरू किया गया. जिससे गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान (लिंग चयन की रोकथाम) अधिनियम 1994 संशोधित अधिनियम 2003 (पीसीपीएनडीटी व एमटीपी) के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी. 2011 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लिंग भेदभाव पर रिपोर्ट करने के लिए 'आमची मुलगी' नामक एक वेबसाइट लॉन्च की. चार साल पहले 'आमची मुलगी' वेबसाइट तकनीकी और वित्तीय कारणों से बंद हो गई थी. सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान को बड़े पैमाने पर चलाया. कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं, अनाधिकृत प्रसवपूर्व लिंग निदान की शिकायत के लिए उपलब्ध कराई गई वेबसाइट 'आमची मुलगी' का बंद होना सरकार के उद्देश्य पर सवाल खड़ा करता है. परिणामस्वरूप शिकायत की रिपोर्ट कहां करें? ऐसा सवाल भी उठाया गया. पीसीपीएनडीटी और एमटीपी को अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न पहलों और उपायों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने का आदेश दिया गया है. जिसके अनुसार राज्य में गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन की रोकथाम) अधिनियम 1994 संशोधन अधिनियम 2003 को प्रभावी ढंग से लागू करने और शिकायतों को दर्ज करने और किसी भी तरह की शिकायतों को दूर करने के लिए एक नई वेबसाइट 15 मार्च को लॉन्च की गई. यदि वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराई जाती है तो उसका नाम गोपनीय रहेगा. शिकायतकर्ता चाहे तो पंजीकरण करा सकता है. शिकायत का निपटारा होने के बाद लिंग जांच करने

वाले व्यक्ति के खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. यदि शिकायत पर अमल किया जाता है और कन्या भ्रूण हत्या रोकने में सफलता मिलती है, तो शिकायतकर्ता को सरकार के माध्यम से खबरी पुरस्कार योजना के तहत 1 लाख रु. का इनाम दिया जाएगा. जिला स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से कहा है कि कहीं भी लिंग निदान हो तो उक्त वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराएं और जन्म लिंगानुपात बढ़ाने में सक्रिय भागीदारी निभाएं.

लोडशेडिंग ने बढ़ाईं मुश्किलें, बिजली आपूर्ति खंडित होने से सूखने लगीं फसलें

गोंदिया-तहसील के अंतर्गत नवरगांवकला, आसोली, ईरी, मोरवाही आदि गांवों में पिछले कुछ दिनों से लगातार खंडित विद्युत आपूर्ति की जा रही है. जिस वजह से नवरगांवकला, ईरी, मोरवाही के अनेक किसान 15 मार्च को झिलमिली-कामठा विद्युत पावर हाउस में करीब 1 से 2 घंटे तक किसानों ने अपनी मांगों को लेकर हल्ला किया और कहा कि विद्युत आपूर्ति नियमित नहीं होने से ग्रीष्मकालीन रबी मौसम की फसलों के लिए खेतों में विद्युत मोटर पंपों की ओर से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है. जिससे खेत में लगी खड़ी धान की फसले सूखने की कगार पर पहुंच गई है. इस संबंध में ग्रामवासियों ने विद्युत वितरण कंपनी, वितरण केंद्र झिलमिली के कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा है.

छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा असर

ज्ञापन में कहा गया है कि विद्युत वितरण विभाग से विद्युत आपूर्ति लगातार खंडित होने के कारण एक ओर उक्त ग्रामों में पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो रही हैं. वहीं दूसरी ओर रवी फसल की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने के कारण खेतों में लगी धान की खड़ी फसल सूख रही हैं वहीं वर्तमान में दसवीं व 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू है. संबंधित विभाग द्वारा बार- बार बिजली आपूर्ति बंद हो रही है. जिससे विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान भी हो रहा है. नवरगांवकला, इरीं, मोरवाही के अनेक नागरिकों ने विद्युत विभाग से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल विद्युत आपूर्ति नियमित शुरू कर समस्या तत्काल दूर करें, अन्यथा ऐसा नहीं किए जाने पर तीव्र आंदोलन किया जाएगा. इस समस्या की शिकायत अधीक्षक अभियंता गोंदिया, कार्यकारी अभियंता गोंदिया व कनिष्ठा अभियंता झिलमिली -कामठा को दी गई. प्रतिनिधि मंडल में नवरगांवकला निवासी किशोर खोटोले, सुरेंद्र कोरे, सुरेश गजभिये, प्रकाश मेश्राम, आसोली निवासी किसान शिवाजी हुमे, महेश फुंडे, विजय फुंडे, टेकचंद रहिले, इर्री निवासी बेनिराम फुलबांधे, संपत ब्राम्हणकर, अशोक मेंढे, चैनलाल दमाहे, मोरवाही निवासी सुरेश कावडे, मीनाराम पारधी व अन्य किसानों का समावेश है.

समस्या हल नहीं हुई तो अनशन

विद्युत विभाग के कर्मचारियों की ओर से किसानों की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण किसानों के साथ ही ग्रामीण भी परेशान हो रहे है. नवरगांवकला, इरी, मोरवाही व आस- पास के गांवों के किसानों ने सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल लगाई है. विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली के चलते किसानों के खेतों की व घरेलू बिजली आपूर्ति घंटों तक ठप रहती है. जिससे ग्रीष्मकाल रबी की फसल नष्ट होने की कगार पर है. समय रहते यदि विद्युत विभाग ने बिजली की समस्या हल नहीं की तो झिलमिली (कामठा) पावर हाऊस के सामने सभी किसान मिलकर अनशन करेंगे. जिसके लिए विद्युत विभाग जिम्मेदार होगा.

सुरेश गजभिये,
सामाजिक कार्यकर्ता, नवरगांवकला

सोंटू जैन को हाई कोर्ट से मिलीं सशर्त जमानत

» अवैध नहीं है सट्टेबाजी एप दुबई में बैठकर चलाता था रैकेट

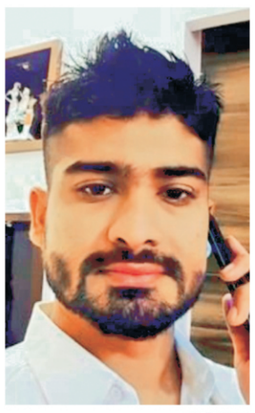

नागपुर/गोंदिया -गेमिंग एप्लिकेशन के जरिए जुआरियों को चूना लगाने वाले ठग सट्टेबाज गोंदिया निवासी अनंत उर्फ सोंटू नवरतन जैन द्वारा हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी. 6 माह पूर्व हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया था. अब फिर एक बार जमानत के लिए अर्जी दायर की गई है जिस पर सुनवाई के दौरान सोंटू की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर ने कहा कि सट्टेबाजी एप अवैध नहीं है. याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को कोई जानबूझकर खेलने के लिए प्रेरित नहीं किया. ऑनलाइन गेमिंग एप में हेराफेरी का आरोप एक और शख्स पर है जो ऑनलाइन सट्टेबाजी एप चलाता है. याचिकाकर्ता न तो सट्टेबाजी एप का मालिक है और न ही ऑनलाइन सट्टेवाजी एप का प्रबंधन करता है. अदालत को बताया गया कि आरोप पत्र पहले ही दायर किए जा चुके हैं. आरोप पत्र में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने सोंटू जैन को गिरफ्तार किया था. पुलिस हिरासत में रहते हुए उसके द्वारा कोई भी जानकारी उजागर नहीं की जा रही थी. इसके विपरीत मामले को उलझाने का प्रयास होता रहा. यही कारण है कि पुलिस की ओर से उसकी जमानत का विरोध किया गया. अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मामले में कई बड़ी मछलियां शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता है. चूंकि पूरा रैकेट दुबई में बैठकर चलाया जा कि सट्टेबाजी एप में हेरफेर किया गया था. दोनों पक्षों की दलीलों के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सशर्त जमानत प्रदान की.

सरेंडर करें पासपोर्ट

सुनवाई के दौरान जमानत का कड़ा विरोध करते हुए सरकारी पक्ष की ओर से बताया गया कि यदि याचिकाकर्ता को जमानत दी गई तो वह देश से भाग जाएगा. इस पर अदालत ने आदेश में कहा कि मामले के कुछ आरोपी फरार होने तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए याचिकाकर्ता को गिरफ्त रहा था, अत: अंतरराष्ट्रीय स्तर तक इसका असर हो सकता है. ऐसे में मुख्य अभियुक्त हिरासत में रहने पर बारीकी से पूछताछ कर इसकी तह तक जाया जा सकेगा. उल्लेखनीय है कि करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी किए जाने के बाद संबंधित व्यापारियों की ओर से पुलिस आयुक्त से शिकायत की गई थी जिसके बाद पुलिस ने गोंदिया स्थित सोंटू के आवास पर छापामारी कर 16.90 करोड़ ऋ्रह्य.70रुरुपये नकद, 14 किलो सोना और 294 किलो चांदी जब्त की थी.में रखने का कोई औचित्य नहीं है. इस बिना पर जमानत याचिका खारिज नहीं की जा सकती है जिसके बाद अदालत ने निचली अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने तथा पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत प्रदान की. हर माह की पहली तारीख और 15 तारीख को संबंधित पुलिस थाना में हाजिरी लगाने तथा इसी तरह के अन्य आरोपों से संबंध नहीं रखने की भी शर्त रखी है. यदि शर्तों का उल्लंखन किया गया तो जमानत खारिज करने के लिए अर्जी दायर करने की स्वतंत्रता अभियोजन पक्ष को दी.

गिरोला जंगल में लगी भीषण आग

आग से वन संपदा और वन्यजीवों को बढ़ा खतरा

गोंदिया-गर्मियां शुरू होते ही आग से जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. जिससे बहुमूल्य वन संसाधनों और वन्यजीव के लिए खतरा पैदा हो गया है. यंत्रणा इसे रोकने काम कर रहा है, किंतु जंगल की आग पर काबू पाने में नाकाम हो रहा है. ऐसा ही नजारा सालेकसा तहसील के गिरोला जंगल में देखने को मिल रहा है. भीषण आग से वन संपदा और वन्यजीवों को खतरा पैदा हो गया है. सालेकसा तहसील के ग्राम पंचायत गिरोला अंतर्गत वन तालाब के पास महुआ फूल जंगल में भीषण आग लग गई. आग ने वन क्षेत्र को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है. जिससे वन संपदा जलकर नष्ट हो रही है. जैसे ही गिरोला के नागरिकों की नजर इस पर पड़ी तो ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया. इस बीच नागरिकों के प्रयास से आग तो बुझ गई, किंतु पेड़-पौधे जल गए. घटना की सूचना वन विभाग को दी गई. विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने जवाब देकर घटना को नजरअंदाज कर दिया कि आग बुझाना हमारा काम नहीं है. जिससे गिरोला के नागरिकों को अनुभव हुआ कि वन्यजीवों और वनों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले तंत्र के अधिकारी और कर्मचारी कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं.

अवैध शराब अड्डे पर छापा 22,000 का माल जब्त

सालेकसा-पुलिस अधीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेश पर इन दिनों जिले में पुलिस टीम की ओर से जगह-जगह चल रहे शराब अड्डों पर छापामार कार्रवाई की गई. इस दौरान अवैध शराब व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही हैं. सालेकसा के पुलिस निरीक्षण भूषण बुराडे के आदेश पर पुलिस उपनिरीक्षक अजय पाटिल सहित अन्य पुलिस कर्मचारी शाम 5 बजे के दौरान पिपरिया बीट परिसर में पेट्रोलिंग के दौरान मिली गुप्त जानकारी के रपंचों के साथ ग्राम पिपरिया निवासी आशीष बारेलाल कुंभरे आधार पर के खेत में चल रहे शराब अढे पर छापा मारा. कार्रवाई के दौरान आशीष कुंभरे अपने खेत में हाथभट्टी की शराब बनाते हुए पाया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई में पुलिस ने पंचों के साथ परिसर में जांच करने पर 4 पॉलिथीन बैग में भरा लगभग 200 किलो महुआ फूल का सडवा व एक रबर के ट्यूब में भरी 50 लीटर हाथभट्टी की महुआ शराब व शराब बनाने के उपयोग में आनेवाली अन्य सामग्री मिलाकर लगभग 22,310 रुपए का माल बरामद किया कार्रवाई पुलिम अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा, देवरी के उपविभागीय पुलिस अधिकारी विवेक पाटिल के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक भूषण बुराडे उपनिरीक्षक अजय पाटिल व उनकी टीम ने की

हाथी रोग उन्मूलन अभियान के प्रति व्यापक जनजागृति करें : मुरुगानंथम

तहसीलों में 26 से हाथी रोग उन्मूलन मुहिम

बुलंद गोंदिया-हाथीरोग एक धागे जैसे माइक्रोफिलेरिया कृमि के कारण होने वाली बीमारी है. मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है. मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से हाथीरोग कीड़ा शरीर में प्रवेश कर खुजली, दाने, बार-बार बुखार आना आदि लक्षण पैदा करता है, फिर अंगों में सूजन आ जाती है. एक बार जब हाथीरोग प्रबल हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है. अत: हाथीरोग के उन्मूलन के लिए व्यापक जनजागृति करने की अपील जिप सीईओ मुरुगानंथम ने जिलाधीश कार्यालय के सभागृह में हाथीरोग उन्मूलन को लेकर जिला समन्वय समिति की आयोजित बैठक में की. मुरुगानंथम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सर्वेक्षण के बाद, जिले के गोंदिया, तिरोड़ा, गोरेगांव व अर्जुनी मोरगांव तहसील में हाथीरोग के सबसे अधिक मरीज पाए गए, इन चार तहसीलों में 26 मार्च 2024 से हाथी रोग उन्मूलन अभियान शुरू किया जाएगा, जो 10 दिनों तक चलेगा. हाथीरोग को रोकने डी.ई.सी. व एल्वेंडाजोल टेबलेट की केवल एक खुराक वर्ष में एक बार लगातार 5 वर्षों तक लेने से हाथीरोग नहीं होता है. हाथीरोग का प्रसार रुकता है. वैकल्पिक रूप से हम खुद को और आने वाली पीढ़ियों को हाथीरोग से मुक्त कर सकते हैं. अभियान को सफल बनाने और समाज में नई बीमारी की रोकथाम के लिए नागरिक सहयोग करें. अधिक मात्रा में गोलियों का सेवन करें. हाथीरोग के प्रसार को रोकने के लिए सभी को डीईसी व एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाएं. हाथीरोग के कीटाणुओं की विशिष्ट आदत के कारण, यह रोगाणु रात में मानव रक्त में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिससे रात में रक्त का नमूना लेने के बाद इसका निदान किया जा सकता है. इस अवसर पर निवासी उप जिलाधीश विजया बनकर, पुलिस उप अधीक्षक (गृह) नंदिनी चैनपुरकर, जिला शल्य चिकित्सक डा. अमरीश मोहबे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. नितिन वानखेड़े, जिप उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ग्रापं) गोविंद खामकर, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (महिला व बाल कल्याण) संजय गणवीर, जिला मलेरिया अधिकारी डा. विनोद चव्हाण मुख्य रूप से उपस्थित थे. बैठक में जिला क्षय रोग अधिकारी वेदप्रकाश चौरगड़े, उपशिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) अशोक लांडे, निवासी चिकित्सा अधिकारी डा. भारती जयसवाल, जिप आईईसी अधिकारी प्रशांत खरात और सभी तहसील स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित थे

ऑनलाइन हाजिरी बनी सिरदर्द

नेटवर्क की समस्या की वजह से झेलनी पड़ती है परेशानी

गोंदिया-सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के तहत हर घर के सदस्य को रोजगार दिया है, किंतु ऑनलाइन उपस्थिति वर्तमान में सिरदर्द बन रही हैं. मनरेगा के तहत जिले के ग्रामों में काम शुरू है. मजदूर भी काम पर आ रहे हैं, किंतु जैसे ही वह काम पर आते हैं तो रोजगार सेवक द्वारा उपस्थिति दर्ज कर ली जाती हैं कौन सा व्यक्ति काम पर मौजूद है. आधुनिक तकनीक के कारण पहले उपस्थिति ऑफलाइन मोड में होती थी. अब उपस्थिति ऑनलाइन हो रही है.

नेटवर्क की समस्या के कारण काम पर आए मजदूरों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है. पंजीयन नहीं होने के कारण काम पर आए मजदूरों को वापस जाना पड़ता है. नेटवर्क प्रणाली के कारण ऑनलाइन पंजीयन करने में बड़ी दिक्कत आ रही है. काम पर जाने के बाद खाली हाथ मजदूरों को घर लौटना पड़ रहा है. इसी वजह से मजदूरों का कहना है कि ऑनलाइन हाजरी से बेहतर ऑफलाइन हाजिरी है. जिससे मजदूरों ने रोगायो विभाग से मांग की है कि हाजरी ऑफलाइन की जाए.

कांबले बने तहसील स्वास्थ्य अधिकारी

अर्जुनी मोरगांव -तहसील स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में डा. सुकन्या कांबले को नियुक्त किया गया है. प्रभारी तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डा. विजय राऊत का कांबले ने पदभार संभाला है. अर्जुनी मोरगांव में तहसील स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत डा. विजय राऊत को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इडदा में स्थानांतरित कर दिया गया है. उनके पास तहसील स्वास्थ्य अधिकारी पद का अतिरिक्त प्रभार था. काफी समय बाद डा. सुकन्या कांबले ने तहसील स्वास्थ्य अधिकारी का पद ग्रहण किया है. स्वास्थ्य कर्मचारी सेवा संगठन की ओर से डा. सुकन्या कांवले का स्वागत किया गया.

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया

आमगांव -तहसील उपभोक्ता पंचायत महाराष्ट्र की ओर से विश्व उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने व उपभोक्ताओं के अधिकार क्या हैं, इस बारे में जानकारी देने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन किया गया था. शुरुआत स्वामी विवेकानंद व बिंदूमाधव जोशी के तैलचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन से हुई. इस अवसर पर संस्था सचिव हेमलता नागपुरे व संस्था की संयुक्त सचिव प्रभादेवी उपराड़े ने उपभोक्ता दिवस पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया. कार्यक्रम में सचिव हेमलता नागपुरे, उपाध्यक्ष राकेश रामटेके, नरेश बोपचे, येवकलाल उपराडे, रामकिशोर मानकर व संगठन के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे.

मेडिकल में हीमोफीलिया पर कार्यशाला आयोजित

गोंदिया-शासकीय मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में हीमोफीलिया रोग पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में जिले के चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ को हीमोफीलिया रोग की जानकारी, उपचार के तरीके व उपचार प्रक्रिया आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया गया. कार्यशाला में नागपुर से प्रसिद्ध हीमोफीलिया विशषज्ञ डा. अंजू कडू ने मार्गदर्शन किया. डा. कडू ने जानकारी देते हुए कहा कि हीमोफीलिया एक रक्त रोग है. इसके इलाज के लिए मरीजों को फैक्टर देना होगा. इलाज बहुत महंगा है. पहले मरीजों को इलाज के लिए नागपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब शासकीय मेडिकल कॉलेज गोंदिया और प्राकृतिक स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से रजेगांव ग्रामीण अस्पताल में इलाज शुरू किया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 4 मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है. कार्यशाला में शासकीय मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डा. कुसुमाकर घोरपड़े, उप अधिष्ठाता डा. विपूल आंबाडे, शिशु रोग विभाग प्रमुख डा. लीना धांडे मुख्य रूप से उपस्थित थीं. बाल रोग विभाग के डा. सुनील देशमुख, डा. ललित मेश्राम, डा. मनिंदर जुनेजा, डा. सृष्टि अग्रवाल, डा. शांतनु गुप्ता, डा. किसन ठकरानी, ग्रामीण अस्पताल प्रभारी डा. सुप्रिया बोरकर, जिला सिकलसेल समन्वयक स्वप्ना खंडाइत और शिशु रोग विभाग के निवासी डाक्टर ने प्रयास किया.

तालाब के गहराईकरण कार्य का किया शुभारंभ

सड़क अर्जुनी -महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पगडंडी रास्ता गिट्टीकरण, सीमेंट नाली निर्माण व तालाब गहराईक्रण कार्य का शुभारंभ जिप सदस्य डा. भूमेश्वर पटले के हस्ते किया गया.

इस अवसर पर पंस सभापति संगीता खोब्रागडे, उपसभापति शालिंदर कापगते, पंस सदस्य चेतन वडगाये, सरपंच पूर्णिमा गणवीर, उपसरपंच ज्ञानेश्वर खोटेले, ग्रापं सदस्य टिकाराम शिवनकर, सुनील खोटेले, शिशिर येडे, यादोराव तुमलाम, शुभम ओंगेवार आदि उपस्थित थे.

नगर परिषद गोंदिया

कार्यालय नगर परिषद, गोंदिया

जाहीर सुचना

क्रमांक : नपगो/करवि/माल१७/२०२४ दिनांक ११/०३/२०२४

गोंदिया नगर परिषद हद्दीतील सर्व मालमत्ता व तसेच मोकळे भूखंड धारकांना या जाहिर सूचने द्वारा सुचित करण्यात येत कि, सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाचे मालमत्ता कर व इतर कराचे मागणी थकीत झालेले आहे, परंतु आपण नगर परिषद कार्यालयात कराच्या भरणा केलेला नाही मालमत्ता कर न भरल्यास आपल्या नाव वृत्तपत्रात प्रकाशित करुन चौका चौकात आपण थकबाकीदार असल्याबाबत आपल्या नावाचे फलक लावण्यात येईल, तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद नगर पंचायत औद्योगिक नगर अधिनियम १९६५ मधील तरतुदीनुसार जप्तीची कारवाई करण्यात येईल थकीत मालमत्ता मोकळे भूखंड धारकांना यामुळे कोणाचीही मानहानी झाल्यास त्याची जवाबदारी थकबाकीदार यांची राहील व याबाबत कृपया नोंद घ्यावी. ही विनंती.

कराच्या भरणा करुन नगर परिषदेला सहकार्य करावे. सुट्टीच्या दिवशी शनिवार आणि रविवार मालमत्ता कर विभाग सुरु राहील.

मुख्य अधिकारी
नगर परिषद, गोंदिया

2 युवक बाइक से पहुंचे मुक्तिनाथ

बुलंद गोंदिया-मोटरसाइकिल से सफर करना किसी को पसंद नहीं है. कई लक्ष्य निर्धारित करने वाले और शौक के रूप में इस रुचि को हासिल करने वाले युवा बाइकर्स के रूप में प्रसिद्ध हो रहे हैं. गोंदिया शहर के दो युवा ऋषभ राजेंद्र खंडेलवाल और ऋषभ वर्मा नेपाल-तिब्बत सीमा पर दुर्गम स्थान मुक्तिनाथ पहुंचे. उन्होंने समुद्र तल से 3762 मीटर की ऊंचाई पर माइनस 17 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले स्थान पर मिशन मुक्तिधाम को पूरा किया. उन्होंने 7 दिनों तक लगातार 2200 किमी की यात्रा की. नेपाल-तिब्बत सीमा पर मुक्तिनाथ में भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है. दुर्गम और पहाड़ी घाटियों से घिरा होने के कारण इस मंदिर के प्रति भक्तों की गहरी आस्था है. 3 मार्च को गोंदिया के 2 युवक ऋषभ राजेंद्र खंडेलवाल और ऋषभ वर्मा मोटरसाइकिल से मुनिजाय मुक्तिनाथ मंदिर की ओर निकले. नेपाल के अयोध्या में पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ की यात्रा करते समय लौटते समय काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और वे 3800 किमी की यात्रा कर गोंदिया लौटे. ऋषभ खंडेलवाल ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने सोनोली-नेपाल सीमा से सात दिन का वीजा लिया था. सुदूर और वर्फीला क्षेत्र होने के कारण यहां कई समस्याओं का सामना करते हुए इस मिशन को हासिल करने की खुशी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी. उन्होंने बताया कि मुक्तिनाथ में लिए गए वीडियो और रील्स को सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद अब तक 70 हजार से ज्यादा लोग इन्हें देख चुके हैं.

तस्करी का 12.245 किलोग्राम गांजा जब्त

भंडारा-दोपहिया वाहन पर तस्करी कर ले जा रहे 1 लाख 22 हजार 450 रुपये का गांजा जब्त किया गया. इस मामले में अपराधी और उसके साथी के खिलाफ मोहाड़ी थाने में मामला दर्ज किया गया. स्थानीय अपराध शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक नारायण तुरकुंडे मोहाड़ी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, उसी दौरान शिवाजी चौक मोहाड़ी निवासी अरूण राजू पाटिल (35) चौंडेश्वरी माता मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर एक साथी के साथ दोपहिया वाहन पर प्लास्टीक बोरे में सामग्री लेकर जा रहा था. पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने बोरा वहीं फेंक दी और बाइक उल्टी करके भागने लगा.जब इस बोरा की जांच की गई तो इसमें मादक पदार्थ गांजा पाया गया. डॉग स्कॉट को घटनास्थल पर बुलाया गया और पंचनामा किया गया. इस बोरे में 1 लाख 22 हजार 450 रुपए कीमत का 12.245 किलो गांजा मिला. पुलिस ने सामान जब्त कर लिया. घटना में आरोपी अरुण राजू पाटिल और उसके साथी की तलाश जारी है. उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक चिंचोलकर, सहायक पुलिस निरीक्षक नारायण तुरकुंडे, पुलिस हवालदार रमेश बेदुरकर, कैलास पटोले, रोशन गजभिये, पंचबुद्धे, आशिष तिवाडे ने की.

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल द्वारा बुलंद गोंदिया साप्ताहिक समाचार पत्र भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरुनानक वार्ड, गोंदिया ता.जि.गोंदिया से मुद्रित व बुलंद गोंदिया भवन, जगन्नाथ मंदिर के पास गौशाला वार्ड, गोंदिया-४४१६०१, ता.जि.गोंदिया से प्रकाशित । संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल, मो.क्र.९४०५२४४६६८। (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) प्रकाशित किये गये समाचार व लेख से संपादक सहमत है। न्यायालय क्षेत्र गोंदिया ।